संख्या-46/2017-411/नौ-5-17-153बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 13 फरवरी 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु तृतीय किश्त की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-225/नागर-2/033-410/16 दिनांक 29.12.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद की पुनर्गठन पेयजल योजना हेतु निर्धारित लागत रू0 3035.89 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष शासनादेश संख्या-327/2015-4266/नौ-5-15-153बजट/2015, दिनांक 26.10.2015 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 100.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-90/2016-1309/नौ-5-16-153बजट/2015, दिनांक 16.04.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 500.00 लाख का उपभोग होने के दृष्टिगत तृतीय किश्त के रूप में रू0 1000.00 लाख (रू0 दस करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्ययवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(3) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(5) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय ।

(6) परियोजना को पूर्ण कराते हुए परियोजना तत्काल सम्बन्धित नागर निकाय को हस्तान्तरित किया जाय।

(7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवास हायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चिम करेंगे । यदि निर्धारित शर्ते का किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा उनके द्वारा मामलों की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

संख्या-46/2017-411/नौ-5-17-153बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/बुलन्दशहर ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (मे0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, मेरठ।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी ।

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37- नगर विकास विभाग, वित्तीय वर्ष 2016-17

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण (धनराशि हजार रु0 में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा। संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2217- शहरी विकास -05-अन्य शहरी विकास योजनाये-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-35-पूजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	900000	100000	100000	100000	800000
योग	900000	100000	100000	100000	800000

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत (राजस्व लेखा)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा। संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-06-पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान "	100000	200000	100000	100000	200000
योग	100000	200000	100000	100000	200000

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:
नगर निकायों के लिये पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या- 447 -ई-8- 240 /दस-2017, दिनांक 10 फरवरी, 2017

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या-46/2017-411(1)/नौ-5-17-/153बजट/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/बुलन्दशहर ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (मे0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, मेरठ।
9- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
10- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-13/02/2017

प्रेषण संख्या:- 46

आवंटन आदेश संख्या:- 001-46-2017-411-9-5-17-153B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम

06 - पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000000 397000000	100000000 397000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	100000000 397000000	100000000 397000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दस करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनचालीस करोड़ सत्तर लाख

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी